



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE
CORPORATION**
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of
India)



मुख्यालय/HEADQUARTER

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-
110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New
Delhi- 110002
Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067
Email: estt6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

मिसिल सं.:डी-12/16/1/2012-स्था.-VI.Vol.II

दिनांक : 19 अगस्त 2021

ज्ञापन

विषय:	क.रा.बी. निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना 2006 के कार्यान्वयन से संबंधित परिशोधित दिशा निर्देश - मुख्यालय के पेंशनभोगियों के चिकित्सा दावों के निपटान एवं चिकित्सा कार्ड जारी करने के संदर्भ में स्पष्टीकरण।
--------------	---

इस कार्यालय द्वारा जारी क.रा.बी. निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना 2006 के कार्यान्वयन से संबंधित परिशोधित दिशा निर्देश के संसंख्यक ज्ञापन दिनांक 25 मई 2021 के पैरा बी (2) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्यालय के पेंशनभोगी, जो कि क.रा.बी. निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना 2006 के सदस्य हैं, के चिकित्सा दावों के निपटान हेतु स्थापना शाखा -VI, मुख्यालय को प्राधिकृत किया गया है। ऐसे पेंशनभोगियों का चिकित्सा कार्ड जारी करने के लिए सामान्य शाखा, मुख्यालय को प्राधिकृत किया गया है।

यह बीमा आयुक्त (स्था.-6/का.एवं प्रशा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(प्रभा सैनी)
सहायक निदेशक

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली/हरियाणा/कानपुर (उ.प्र.)।
2. नि.(चि.) दिल्ली / नि.(चि.) नोएडा।
3. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम चिकित्सालय/ आदर्श चिकित्सालय/ओडीसी, दिल्ली।
4. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा संस्थान, दिल्ली।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, उप-क्षेत्रीय कार्यालय/चिकित्सालय/चिकित्सा शिक्षा संस्थान, दिल्ली।
6. संयुक्त निदेशक, स्था. -V/सामान्य शाखा, मुख्यालय।
7. महानिदेशक/वित्त आयुक्त /मुख्य सतर्कता आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त /बीमा आयुक्त (का. एवं.प्रशा.)/ बीमा आयुक्त (रा.प्र.अ.)/ बीमा आयुक्त (राजस्व)/ बीमा आयुक्त (संपत्ति प्रबंधन प्रभाग)/ बीमा आयुक्त (सूचना सम्प्रेषण प्रादौगिकी) के प्रधान व्यक्तिगत सचिव/ व्यक्तिगत सचिव।
8. संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से क.रा.बी. निगम पेंसिऑभोगी परिसंघ /संघ को।
9. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE
CORPORATION**
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of
India)



सत्यमेव जयते

मुख्यालय/HEADQUARTER

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-
110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New
Delhi- 110002
Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067
Email: estt6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

F. No.:D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II

Dated: 19th August, 2021

MEMORANDUM

Subject :	Revised guidelines relating to implementation of ESIC Pensioner Medical Scheme-2006- Clarification regarding settlement of claims and issue of Medical Cards in respect of pensioners of Hqrs. Office.
------------------	---

With reference to **Para B (2)** of the Revised Guidelines issued vide this Office Memo. of even number dated 25th May, 2021, I am directed to inform that Establishment Branch-VI, Hqrs. Office shall process the settlement claims of the pensioners who are members of ESIC PMS, 2006 and drawing their pension from Hqrs. Office whereas the Medical Cards to such pensioners shall be issued at General Branch, Hqrs. Office.

This is issued with the approval of Insurance Commissioner (E-VI/P&A).


(प्रभा सैनी)
सहायक निदेशक

To,

1. The Regional Director, ESIC Regional Office, Delhi/Haryana/Kanpur (U.P.).
2. D(M)D/D(M) NOIDA.
3. All Medical Superintendents ESIC Hospitals/ESIC Model Hospitals/ODCs at Delhi.
4. All Deans, Medical Educational Institutions at Delhi.
5. Jt. Director/Dy. Director (Fin.) of a Regional Office/ Sub-Regional Offices/Hospitals/ Medical Educational Institutions situated at Delhi.
6. Jt. Director, E-V/General Branch, Hqrs. Office.
7. PPS/PS to DG/FC/CVO/M.C./I.C.(P&A)/I.C.(NTA)/I.C.(Revenue)/I.C.(PMD)/IC(ICT).
8. ESIC Pensioners' Federation / Associations through concerned regions.
9. Website Content Manager for uploading on the website of ESIC.